समाहरणालय, दरभंगा

(जिला स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

श्री प्रभु नारायण लाभ, राजस्व कर्मचारी, हायाघाट अंचल के विरूद्ध बहेड़ी एवं बेनीपुर अंचल में पदस्थापनकाल में अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता, मुख्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थिति, अनुशासनहीनता, नियंत्री पदाधिकारी के आदेशों की अवहेलना, सरकारी राशि का दुरूपयोग आदि जैसे गंभीर आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने के आधार पर उपर्युक्त आरोपों के लिए कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1384/रा0 दिनांक–02.08.2011 द्वारा श्री प्रभू नारायण लाभ, राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। साथ ही दिनांक–26.08.11 को श्री लाभ के विरूद्ध प्रपत्र–"क" में आरोप पत्र गठित करते हुए कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1606/स्था0, दिनांक–29.08.11 द्वारा श्री लालबाबू सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर, दरभंगा को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, बेनीपुर को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

श्री लाल बाबू सिंह, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेनीपुर के स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप आदेश दिनांक–15.03.2013 द्वारा श्री लाभ के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर को नामित किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरांत अपने पत्रांक–1366/स्था0, दिनांक–25.11.2013 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही से संबंधित अभिलेख एवं मंतव्य/जॉच प्रतिवेतन प्रेषित किया गया। संचालन पदाधिकारी ने श्री लाभ के विरूद्ध प्रपत्र–"क" में गठित आरोप, आरोपी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत, श्री लाभ के विरूद्ध मुख्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थिति, लगान की राशि अस्थायी रूप से गबन की मनोवृति, सरकारी कार्य के प्रति उदासीनता एवं आदेश की अवहेलना के साथ–साथ लापरवाही बरतने का आरोप प्रमाणित पाया है।

आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन/मंतव्य के अवलोकनोपरांत संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए कार्यालय ज्ञापांक–189/स्था0 दिनांक–27.01.2014 द्वारा श्री लाभ से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग करते हुए सुनवाई की तिथि दिनांक– 06.02.2014 को अपराह्न 4.00 बजे निर्धारित की गई तथा द्वितीय कारण पृच्छा संबंधी पत्र अंचल अधिकारी, हायाघाट के माध्यम से श्री लाभ को तामिला हेतु भेजा गया, किंतु अंचल अधिकारी, हायाघाट के पत्रांक–67, दिनांक–03.02.14 के द्वारा सूचित किया गया कि–"अंचल के अनुसेवक (चौकीदार) के माध्यम से आरोपी को पत्र तामिला हेतु भेजा गया परंतु आरोपी घर पर नहीं मिलें। पत्र तामिला हेतु आरोपी के मोबाईल से सम्पर्क करने पर आरोपी द्वारा बताया गया कि वे छुट्टी पर हैं।" इस प्रकार आरोपी द्वारा न तो द्वितीय कारणपृच्छा संबंधी पत्र ही प्राप्त किया गया और न ही सुनवाई की निर्धारित तिथि 06.02.2014 को अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हुयें। आरोपी को एक मौका और देते हुए पुनः कार्यालय ज्ञापांक–04 (मु0)/स्था0 दिनांक–26.02.2014 द्वारा आरोपी से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग की गई एवं सुनवाई की तिथि दिनांक–13.03.2014 को अपराह्न 4.00 बजे निर्धारित किया गया। द्वितीय कारणपृच्छा के आलोक में सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक–13.03.2014 को आरोपी श्री लाभ द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

इसी बीच अंचल अधिकारी, हायाघाट के पत्रांक–58 दिनांक–27.01.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि– "श्री प्रभु नारायण लाभ, राजस्व कर्मचारी विगत दो माह से बिना सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। अनाधिकृत अनुपस्थिति हेतु उनसे स्पष्टीकरण भी पूछा गया है किंतु श्री लाभ द्वारा स्पष्टीकरण का अबतक कोई जबाब नहीं दिया गया है। श्री लाभ के अनुपस्थिति के कारण उन्हें अपने हल्का से संबंधित प्रभार श्री बिनोद कुमार लाल को सौंपने का आदेश कार्यालय ज्ञापांक–777 एवं 779 दिनांक–30.12.2013 द्वारा दिया गया किंतु श्री लाभ द्वारा अभी तक प्रभार नहीं सौंपा गया है। श्री लाभ के अनुपस्थित रहने के कारण आर0टी0पी0एस0 एवं अन्य राजस्व कार्य जैसे दाखिल–खारीज जैसे महत्वपूर्ण कार्य लंबित हैं। श्री लाभ द्वारा चालू वर्ष का लगान वसूली की राशि भी अंचल नजारत में जमा नहीं की गई है।" अंचल अधिकारी, हायाघाट द्वारा श्री लाभ के विरूद्ध, अपने कार्यक्षेत्र से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, आदेश की अवहेलना करने एवं सरकारी लगान की राशि के गबन के आरोप में निलंबित करने एवं उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा की गई।

अंचल अधिकारी, हायाघाट से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में कार्यक्षेत्र से अनाधिकृत अनुपस्थिति, पूछे गये स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देने, लगान राशि के गबन, आदेश के बावजूद प्रभार नहीं सौंपने एवं सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में आदेश दिनांक–21.06.2014 के द्वारा श्री लाभ के विरूद्ध ज्ञापन प्रपत्र–''क'' में आरोप पत्र गठित करते हुए अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, हायाघाट को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, विभागीय जॉच, दरभंगा के पत्रांक–49/अ0समा0वि0जॉच दिनांक–19.09.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही की जॉच पूर्ण कर अभिलेख, प्रतिवेदन/मंतव्य सहित प्राप्त हुआ है। संचालन पदाधिकारी ने अपने जॉच प्रतिवेदन में अंकित किया है कि–''सूचना के बावजूद आरोपी कर्मी संचालन पदाधिकारी के समक्ष अनुपस्थित रहें है। आरोपी कर्मी इस विभागीय कार्यवाही में कोई रूचि नहीं ले रहे हैं और जानबूझ कर विभागीय कार्यवाही को लंबित रखना चाहते हैं, जो एक सरकारी कर्मचारी के गलत आचरण, स्वेच्छाचारिता, लापरवाही, कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता का द्योतक है।'' संचालन पदाधिकारी ने आरोपी कर्मी के विरूद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को सही पाया है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में कार्यालय ज्ञापांक–1721/स्था0 दिनांक–05.12.14 के द्वारा आरोपी से द्वितीय कारणपृच्छा की मांग करते हुए द्वितीय कारणपृच्छा के आलोक में सुनवाई की तिथि दिनांक–18.12.14 को निर्धारित की गई। उक्त पत्र आरोपी श्री लाभ की पत्नी द्वारा प्राप्त किया गया किंतु आरोपी द्वारा न तो स्पष्टीकरण समर्पित किया गया और न ही सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक–18.12.2014 को उपस्थित ही हुए। फलस्वरूप आरोपी को एक मौका और देते हुए उन्हें अपना पक्ष दिनांक–08.01.2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे रखने की सूचना दैनिक समाचार पत्र ''हिन्दुस्तान'' में दिनांक–29.12.2014 प्रकाशित कर दी गई। आरोपी द्वारा निर्धारित तिथि दिनांक–08.01.2015 को स्वयं उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया एवं अपना पक्ष रखा गया।

आरोपी कर्मी के विरूद्ध गठित दोनो प्रपत्र–''क'' में प्रतिवेदित आरोप, दोनों प्रपत्र–''क'' के आलोक में संचालन द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं मंतव्य/अनुशंसा तथा द्वितीय कारणपृच्छा के आलोक में आरोपी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के अवलोकनोपरांत स्पष्ट होता है कि आरोपी अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाह एवं उदासीन कर्मी हैं। वे सरकारी दायित्यों के निर्वहन में कोई रूचि नहीं रखते है तथा हमेशा अनाधिकृत रूप से अपने कार्य क्षेत्र से अनुपस्थित रहते हैं। पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, आदेश के बावजूद प्रभार नहीं सौंपना तथा सरकारी कार्यों के निस्पादन में बाधा उत्पन्न करना, सरकारी लगान की राशि का गबन आदि आरोप इनके विरूद्ध स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के लिए बार– बार उपस्थित नहीं होना भी दर्शाता है कि उन्हें सरकारी कार्यो के निर्वहन में कोई अभिरूचि नहीं है तथा वे अनुशासनहीन कर्मी है।

इसके अतिरिक्त माननीय प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी, दरभंगा के न्यायालय में दायर वाद जी0आर0 नं0–2504/96 एवं टी0आर0 नं0–0982/12 रीता देवी बनाम प्रभु नारायण लाभ एवं अन्य में पारित आदेश में भी यह प्रमाणित हो चुका है कि वादी–रीता देवी प्रतिवादी–श्री प्रभु नारायण लाभ, राजस्व कर्मचारी की दुसरी पत्नी है जबकि प्रतिवादी की पहली पत्नी रूकमिणी देवी जीवित है। उक्त वादों में आरोपी मारपीट के भी दोषी पाये गये हैं। उपरोक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद आरोपी/प्रतिवादी श्री लाभ के द्वारा गुजारा भत्ता के रूप में अपने दूसरी पत्नी को मो0–500.00 (पॉच सौ) रूपयें का भुगतान नही किया गया। साथ ही पहली पत्नी के जीवित रहते हुए बिना सहमति प्राप्त किये आरोपी द्वारा दूसरी शादी की गई, जो बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3(1) एवं 23 के विरूद्ध है।

उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि श्री प्रभु नारायण लाभ, पूर्व राजस्व कर्मचारी–सह–प्रभारी पंचायत सचिव, बहेड़ी/बेनीपुर अंचल सम्प्रति हायाघाट अंचल अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाह एवं उदासीन कर्मी हैं। वे सरकारी दायित्यों के निर्वहन में कोई रूचि नहीं रखते हैं तथा प्रायः अनाधिकृत रूप से अपने कार्य क्षेत्र से अनुपस्थित रहते हैं। पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना, आदेश के बावजूद प्रभार नहीं सौंपना तथा सरकारी कार्यों के निस्पादन में बाधा उत्पन्न करना, सरकारी लगान की राशि का गबन करना आदि आरोप इनके विरूद्ध स्पष्ट रूप से प्रमाणित होते हैं तथा द्वितीय कारणपृच्छा के आलोक में इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त पहली पत्नी के जीवित रहते हुए बिना सहमति प्राप्त किये दूसरी शादी करना, बिहार

सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम–3(1) एव 23 के प्रतिकूल है, जो उन्हें वृहत्तम दण्ड का भागी बनाता है एव इन्हें मात्र अधिकतम दण्ड ही दिया जा सकता है।

अतएव सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित 2007 के नियम 14 में निहित प्रावधानानुसार उपरोक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के लिए मैं कुमार रवि, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, दरभंगा श्री प्रभु नारायण लाभ, पूर्व राजस्व कर्मचारी–सह–प्रभारी पंचायत सचिव, बहेड़ी/बेनीपुर अंचल सम्प्रति हायाघाट अंचल को आदेश निर्गत्त की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करता हूँ।

श्री प्रभु नारायण लाभ के संबंध में पूर्ण विवरणी

1.	नाम	:– श्री प्रभु नारायण लाभ
2.	पदनाम	:– राजस्व कर्मचारी
3.	पिता का नाम	:– स्व0 बद्री नारायण लाभ
4.	जन्म तिथि	:– 10.09.1963
5.	नियुक्ति की तिथि	:– 30.4.1985
6.	वेतनमान	:– 5200–20200, ग्रेड पे–1900
7.	स्थायी पता	:– ग्रा0–गोरापटटी पो0–बिहार महिला विद्यापीठ भाया– लहेरियासराय, दरभंगा।

ह0/–

जिला दण्डाधिकारी एवं
समाहर्त्ता, दरभंगा।

ज्ञापांक–06–01/15– 322 /स्था0, लहेरियासराय, दिनांक 25वीं फरवरी, 2015 ।

प्रतिलिपि :– श्री प्रभु नारायण लाभ, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय हायाघाट स्थायी पताः– पिता–स्व0 बद्री नारायण लाभ, ग्राम् –गोरापटटी, पो0–बिहार महिला विद्यापीठ भाया–लहेरियासराय, जिला–दरभंगा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय उप समाहर्त्ता, जिला सामान्य शाखा, दरभंगा को जिला गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा / उप कोषागार पदाधिकारी, बेनीपुर/ अंचल अधिकारी, हायाघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– वरीय उप समाहर्त्ता, जिला गोपनीय शाखा, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/ अपर समाहर्त्ता, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा/जिला आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राज्य गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

23/2/15

जिला दण्डाधिकारी एवं
समाहर्त्ता, दरभंगा।

25.2.15